उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2019)

THE UTTAR PRADESH GROUND WATER (MANAGEMENT AND REGULATION) ACT, 2019

(U.P. Act No.13 of 2019)

उत्तर प्रदेश भू–गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019)

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07 सन् 2021

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10 सन् 2026

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ तथा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 5 अगस्त, 2019 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 7 अगस्त, 2019 को प्रकाशित हुआ।]

राज्य के विशेष रूप से संकटग्रस्त ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में दोनों परिमाणात्मक एवं गुणात्मक भू–गर्भ जल का अविरत प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु भू–गर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

चूंकि, भू–गर्भ जल के अनियंत्रित और तीव्र निष्कर्षण के फलस्वरूप भू–गर्भ जल के स्तरों में आई गिरावट से भयप्रद स्थिति उत्पन्न हो गयी है और राज्य के अनेक भागों के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में भूगर्भ जल के स्रोतों में कमी आ गयी है;

और, चूंकि, भू–गर्भ जल, घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोगों हेतु एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल स्रोत होने के कारण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेय जल, खाद्य तथा जीविका सुरक्षा का मेरूदण्ड है;

और, चूंकि, अतिशय भू–गर्भ जल निष्कर्षण और भू–गर्भ जल संदूषण के कारण गम्भीर भू–गर्भ जल संकट विद्यमान है;

और, चूंकि, भू–गर्भ जल का विकास राज्य की आवश्यकता है, इसलिए विशेष रूप से अतिदोहित तथा संकटग्रस्त क्षेत्रों में इसका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन किया जाना भी इस बहुमूल्य संसाधन की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु समय की माँग है;

और, चूंकि, संकटग्रस्त क्षेत्रों में भू–गर्भ जल की समुचित वृद्धि/पुनर्भरण के प्रयोजनार्थ भू–गर्भ जल संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए, और राज्य में उक्त संकटग्रस्त क्षेत्रों की भू–गर्भ जल की पूर्णकालिक गुणवत्ता को अनुरक्षित या पुनर्स्थापित करते हुए भू–गर्भ जल प्रदूषण निवारण के लिए उपबन्ध करना भी समीचीन है;

और, चूंकि, भू–गर्भ जल के साम्यपूर्ण तथा पर्यावरणीय रूप से ठोस भू–गर्भ जल विनियमन से वर्तमान समय की जलवायु परिवर्तन सहित कतिपय सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्राप्त हो सकती है;

और, चूंकि, जल ऐकिक प्रकृति का होता है जिसके लिए भू–पृश्ठ जल तथा भू–गर्भ जल का एकीकृत रूप में होना अपेक्षित है, जो भूमि और वनस्पति से अभिन्न रूप में संयोजित होता है और उसका वर्शा जल (प्राकृतिक पुनर्भरण के माध्यम से) से जटिल रूप में जुड़ाव होता है।

और, चूंकि,भू–गर्भ जल अपनी प्राकृतिक अवस्था में सामान्य रूप में एक सामूहिक संसाधन है और भारत के उच्चतम न्यायालय ने भू–गर्भ जल लोक न्यास सिद्धांत को इस मान्यता के साथ लागू किया है कि भू–गर्भ जल निजी संपत्ति अधिकार अनुपयुक्त अधिकार है जिनके कारण भू–गर्भ जल की प्रास्थिति संकटमय, प्रतिकूल तथा परिवर्तनशील हो जाती है;

और, चूंकि, राज्य सरकार ने समस्त सम्बन्धित पहलुओं पर सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि भू–गर्भ जल का किसी भी रूप में न्यायसंगत रूप में निष्कर्षण और उपयोग का प्रबंधन तथा विनियमन करना और राज्य के संकटग्रस्त क्षेत्रों में भू–गर्भ जल का संरक्षण तथा उसकी सुरक्षा करना भी लोकहित में समीचीन तथा आवश्यक है और उसे नियोजन तथा प्रबंधन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी;

---

1. उद्देश्य व कारण हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

और, चूंकि, भू–गर्भ जल संसाधनों की गुणात्मक एवं परिमाणात्मक अविरतता और भू–गर्भ जल उपयोग में साम्यता को सुनिश्चित करने के लिए एक नया विधिक ढांचा (सन्नियमों, सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं और समकालीन तथा आसन्न चुनौतियों को इंगित करने वाली उपयुक्त संस्थाओं सहित) अपेक्षित है;

और, चूंकि, राज्य सरकार ने समस्त संबंधित पहलुओं पर सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के पश्चात यह विनिश्चय किया है कि लोकहित में भू–गर्भ जल उपयोग का प्रथम अधिकार पीने के लिए, घरेलू तथा पशु उपयोग हेतु होगा।

एतद्द्वारा भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भू–गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन)अधिनियम, 2019 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न–भिन्न दिनांक नियत किए जा सकते हैं;

(4) इस अधिनियम के अधीन किए गए शास्तिक उपबंध, भू–गर्भ जल के घरेलू और कृषि उपयोगकर्ताओं पर प्रयोज्य नहीं होंगे।

परिभाशाएं

2–(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) '**समुचित प्राधिकरण**' का तात्पर्य 'ग्राम पंचायत भू–गर्भ जल उप–समिति', 'विकास खण्ड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति', 'नगर पालिका जल प्रबंधन समिति', और जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद से है;

(ख) **'जलभृत'** का तात्पर्य खण्डित चट्टानों, रेत, बजरी तथा तद्समान तलछटों से समाविष्ट भौगोलिक संरचना, संरचना समूह या आंशिक संरचना समूह के भूमिगत सतह से है जो पर्याप्त सरंध्र, पारगम्य और जल से संतृप्त है और जो किसी कूप या जल स्रोत को पर्याप्त मात्रा में जल प्रेषित करता है/प्रतिगृहीत करता है/प्रदान करता है;

(ग) **'भूजल सेना'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला में भू–गर्भ जल जागरूकता कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु गठित व्यक्ति समूह से है;

(घ)**'खण्ड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति'** का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित खण्ड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति से है;

(ङ) **'सामूहिक उपयोक्ता'** का तात्पर्य किसी अधिष्ठान यथा होटलों/लाजों/निजी आवासीय भवनों/आवासीय कालोनियों/रिजार्टों/निजी चिकित्सालयों/परिचर्यागृहों/कारबार प्रक्षेत्रों/मॉल्स/वाटर पार्कों सहित किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह से है जो अपनी क्रियात्मकजल आवश्यकताओं के प्रयोजनार्थभू–गर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करते है;

(च) **'केन्द्रीय भू–गर्भ जल बोर्ड'** का तात्पर्य केन्द्रीय भू–गर्भ जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा पुनरूज्जीवन, भारत सरकार से है;

(छ) **'वाणिज्यिक उपयोक्ता'** का तात्पर्य ऐसी किसी संस्था या किसी अभिकरण या किसी अधिष्ठान जो उक्त प्रयोजनार्थ भू–गर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करता है, सहित ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है जो वित्तीय उपलब्धि या लाभ हेतु अपने कारबार या व्यापार के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है;

(ज) **'विकास प्राधिकरण'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य में किसी जिला विकास प्राधिकरण से है;

(झ) **'जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद'** का तात्पर्य, धारा 6 के अधीनगठितजिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद से है;

(ञ) **'वेधन अभिकरण'** का तात्पर्यऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या किसी संस्था से है, जो किसी प्रयोजन यथा घरेलू/पीने हेतु/ वाणिज्यिक/औद्योगिक/सामूहिक/अवसंरचनात्मक उपयोग के लिए भू–गर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करने हेतु कूपों/नलकूपों का वेधन करने के व्यवसाय के भाग के रूप में संलग्न है;

(ट) **'पर्यावरणीय प्रवाह'** लोगों को वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करने वाले जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों के संघटकों,कृत्यों, प्रक्रियाओं तथा नम्यता को अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित जल प्रवाहों की गुणवत्ता, परिमाण तथा समयनिर्धारण को निर्दिष्ट करते हैं;

(ठ) **'ग्राम पंचायत भू–गर्भ जल उप–समिति'** का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित ग्राम पंचायत भू–गर्भ जल उप–समिति से है;

(ड) **'भू–गर्भ जल विभाग'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के भूगर्भ जल विभाग से है;

(ढ) **'भू–गर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र'** का तात्पर्य इस प्रकार के किसी क्षेत्र से है जहाँ भू–गर्भ जल गुणवत्ता, भू–जनित या मानव जनित कारणों के फलस्वरूप रासायनिक तत्वों, भौतिक–रासायनिक संघटकों, भारी धातुओं और जीवाण्विक संदूषण के उच्च स्तरीय/अतिशय संकेन्द्रण से प्रभावित है;

(ण) **'भू–गर्भ जल संसाधन प्राक्कलन रिपोर्ट'** खण्डों का अतिदोहित, संकटग्रस्त, अर्द्ध संकटग्रस्त और सुरक्षित श्रेणियों में श्रेणीकरण सहित भू–गर्भ जल संसाधन खण्डवार निर्धारण के लिए भू–गर्भ जलविभाग, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय भू–गर्भजल बोर्ड द्वारा तैयार की गयी भू–गर्भ जल प्राक्कलन समिति की पद्धति तंत्र पर आधारित नवीनतम अनुमोदित रिपोर्ट को निर्दिष्ट करती है;

(त) **'भू–गर्भ जल सुरक्षा योजना'** का तात्पर्य उपलब्ध जल भू–गर्भीय सूचनाओं पर क्रमिक रूप से आधारित किसी योजना से है और उसमें ऐसे उपाय/मध्यक्षेप सम्मिलित हैं जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में तथा जल भू–गर्भीय रूप में संभाव्य है;

(थ) **'भू–गर्भ जल'** का तात्पर्य ऐसे जल से है, जो किसी संतृप्त परिक्षेत्र में भूमि की सतह के नीचे पाया जाता है और जिसे कूपों या किन्ही अन्य साधनों से निकाला जा सकता है अथवा धाराओं और नदियों में झरनों तथा मुख्य प्रवाहों के रूप में निकलता है;

(द) **'उद्योग'** का तात्पर्य किसी ऐसे कारबार, व्यापार, उपक्रम, विनिर्माण या नियोजकों की आजीविका से है, जो किसी अभिलाभ या लाभ हेतु चलाया जाता हो और उसके अन्तर्गत कोई आजीविका सम्बन्धी सेवा नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या श्रमिक का उप व्यवसाय या माल के उत्पादन के लिये किसी नियोजक और उसके श्रमिक (चाहे ऐसा श्रमिक उक्त नियोजक द्वारा सीधे नियोजित किया गया हो या किसी अभिकरण, जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी हैं, द्वारा अथवा उसके माध्यम से) के मध्य सहयोग द्वारा चलाया जाने वाला क्रमबद्ध क्रियाकलाप भी हैं;

(ध) **'अवसंरचनात्मक प्रयोक्ता'** का तात्पर्य ऐसी किसी फर्म या कंपनी सहित व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है जो अवसंरचनात्मक विकास से सीधे संबंधित क्रियाकलापों/परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ भू–गर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करता है;

(न) **'नगर पालिका जल प्रबंधन समिति'** का तात्पर्य धारा 5 के अधीन गठित नगर पालिका जल प्रबंधन समिति से है;

(प) **'अधिसूचित क्षेत्र'** का तात्पर्य धारा 9 के अधीन इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र से है जिसमें अति–दोहित, संकटमय और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है;

(फ) **'पानी पंचायत'** का तात्पर्य तालाबों के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए तालाब स्तर पर गठित किसी व्यक्ति–समूह से है;

(ब) **'प्रदूषण'** का तात्पर्य भू–गर्भ जल या भू–पृष्ठ जल या ऐसे संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में परिवर्तन या किसी मल, प्लास्टिक, थर्मोकोल या व्यापारिक बहिःस्राव या गैसीय या ठोस पदार्थ युक्त किसी अन्य तरल पदार्थ का भू–गर्भ जल में (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में) निस्सारण से है, जिससे उपताप हो सकता है या उपताप उत्पन्न होना सम्भावित हो या ऐसे भू–गर्भ जल को लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा हेतु या घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषिगत या अन्य विधिसम्मत उपयोगों के लिए या पशुओं या पौधों या जलीय जीवों के जीवन एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक या क्षतिकारक हो सकता है;

(भ) **'वर्षा जल संचयन'** का तात्पर्य भू–गर्भ जल भण्डारण या उसकेपुनर्भरण हेतु छत के ऊपर संचयन सहित सूक्ष्म जल विभाजक पैमाना पर वर्षा जल संग्रहण और भण्डारण तकनीक या प्रणाली से है;

(म) **'ग्रामीण क्षेत्रों'** का तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जो नगरीय क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत नही हैं;

(य)**'राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण'** का तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण से है;

(क क) **'नगरीय क्षेत्रों'** का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जो यथास्थिति किसी विकास प्राधिकरण या किसी नगर पालिका या किसी नियामक निकाय द्वारा अधिसूचित किये जायं, जिनमें ऐसे क्षेत्र/भूमि सम्मिलित नहीं है, जो किसी विकास प्राधिकरण या किसी नगर पालिका या किसी विनियमित क्षेत्र की महायोजना में कृषि उपयोग हेतु वर्गीकृत किये गये हों**;**

(क ख) **'भू–गर्भ जल उपयोक्ता'** का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या संस्था से है, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर किये जाने वाले घरेलू उपयोग सहित किसी प्रयोजन के लिए भू–गर्भ जल का स्वामित्व रखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं या विक्रय करता है/करते हैं और उसमें/उनमें कोई सरकारी या गैर सरकारी उद्योग, वाणिज्यिक उपयोक्ता, सामूहिक उपयोक्ता, कंपनी का कोई प्रतिष्ठान सम्मिलित है, किन्तु उसमें/उनमें ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या संस्था सम्मिलित नहीं है, जो हस्तचालित या पशुचालित युक्तियों यथा हैण्डपम्प, रस्सी तथा बाल्टी और रहट आदि द्वारा कूप से निकाले गये भू–गर्भ जल का प्रयोग करता है/करते हैं;

(क ग) **'जल और स्वच्छता समिति'** का तात्पर्य जल और स्वच्छता योजनाओं के नियोजन, अनुश्रवण, क्रियान्वयन और अनुरक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में गठित किसी समिति से है;

(क घ) **'जल उपयोक्ता संगम'** का तात्पर्य सिंचाई जल प्रणाली का प्रबंधन और अनुरक्षण करने के लिए नहर निकास स्तर पर गठित निर्वाचित लोगों के संगठन से है;

(क ङ) 'कूप' का तात्पर्य भू–गर्भ जल के खोज या निष्कर्षण या पुनर्भरण के लिए निर्मित किसी संरचना से है और उसके अन्तर्गत खुला कूप, डगबेल, बोरबेल, डग कम बोरबेल, नलकूप, अन्तः स्पन्दन गैलरी पुनर्भरण कूप अथवा उनमें से किसी का संयोजन या रूपान्तरण भी है, जिसका उपयोग भू–गर्भ जल निष्कर्षण तथा भू–गर्भ जल पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है।

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में परिभाषित शब्दों और पदो ंके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए सम्बन्धित विधियों में क्रमशः समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो

संस्थागतढ़ांचा

ग्राम पंचायत भू–गर्भ जल उप–समिति

3–(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत भू–गर्भ जल उप–समिति का गठन किया जायेगा, जो इस अधिनियम के अधीन भू–गर्भ जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करने हेतु किसी खण्ड के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की निम्नतम लोक इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार गजट मेंअधिसूचना द्वारा जिलाभू–गर्भजल प्रबन्धन परिषद का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर ग्राम पंचायत भू–गर्भ जल उप समिति का गठन करने के लिएजिलाभू–गर्भ जलप्रबन्धन परिषद को निदेश देगी, जिसमें निम्नलिखित होंगेः–

(क) अध्यक्ष–ग्राम प्रधान;

(ख) सदस्य सचिव–ग्राम पंचायत सचिव;

(ग) जल संसाधनों का स्थलीयज्ञान रखने वाले ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) भू–जल सेना/पानी पंचायत/जल उपयोक्ता संगम/जल और स्वच्छता समिति के दो सदस्य, जिन्हें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ङ) खण्ड स्तर परकार्यरत सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों के रूप में दो सदस्य, जिन्हें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय;

(4) ग्राम पंचायतभू–गर्भ जल उप–समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे,

(क) समस्त स्रोतों से सूचना एकत्र करना;

(ख) धारा 13 में यथा उपबंधित ग्राम पंचायत भू–गर्भ जल सुरक्षा योजना तैयार करना;

(ग) ऐसे कृत्यों को क्रियान्वित करना, जैसा कि विहित किया जाय;

खण्ड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति

4–(1) **खण्ड पंचायतभू–गर्भ जल प्रबंधन समिति** का गठन किया जायेगा जो खण्ड स्तर पर भू–गर्भजल केसमग्र प्रबंधनहेतु एक सार्वजनिक इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार,गजटमें अधिसूचना द्वाराजिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर खण्ड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद को निदेश जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) अध्यक्ष–खण्ड प्रमुख

(ख) सदस्य सचिव–खण्ड विकास अधिकारी(बी0डी0ओ0);

(ग) जल संसाधनों का स्थलीय ज्ञान रखने वाले ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) भू–जल सेना/पानी पंचायत/जल उपयोक्ता संगम/जल और स्वच्छता समिति के दो सदस्य जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ङ) खण्ड स्तर पर कार्यरत संबंधित विभागों के प्रतिनिधि के रूप में दो सदस्य जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

(4) खण्ड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) यथा प्रतिपादित/विहित मार्ग दर्शनों के अनुसार प्रत्येक कम से कम दस ग्राम पंचायतों के समूह में तैयार की गयी, ग्राम पंचायत भू–गर्भ जल सुरक्षा योजनाओं को समेकित करके एक समग्र खण्ड स्तरीय भू–गर्भ जल सुरक्षा योजना तैयार करना;

(ख) खण्ड पंचायतभू–गर्भ जल सुरक्षा योजनाके क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(ग) सम्बन्धित खण्ड की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं के क्षेत्रों से भिन्न अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त कूपों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों को क्रियान्वित करना जैसाकि विहित किया जाय।

नगर पालिका जल प्रबंधन समिति

5–(1) एक नगर पालिका जल प्रबंधन समितिका गठन किया जायेगा, जो नगरीय क्षेत्रों में एकीकृत रूप में जल प्रबंधन हेतु निम्नतम लोकइकाईहोगी;

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद को नगर पालिका जल प्रबंधन समिति का गठन करने के लिएनिदेश जारी करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

[1]**[**(क) यथास्थिति–अध्यक्ष, नगर प्रमुख/अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण;

(ख) यथास्थिति सदस्य–सचिव नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण;]

(ग) जल संसाधनों का स्थलीय ज्ञान रखने वाले लोक–प्रतिनिधि के रूप में दो सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7, 2021 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) निवासी कल्याण संगम/सामाजिक समूह के दो सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ङ) सम्बन्धित विभागों (भू–गर्भ जल विभाग से एक प्रतिनिधि सहित) के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय;

(4) नगर पालिका जल प्रबंधन समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगेः–

(क) संबंधित नगर पालिका के भीतरसम्बन्धित संस्थानों के साथ समन्वय में कार्य करना;

(ख) जल आपूर्ति के स्रोतों (भू–पृष्ठ जल और भू–गर्भ जल) को अवधारित करनाऔर उन्हें एकीकृत करना;

(ग) धारा 13 के अधीन उपबंधित समग्र नगर पालिका भू–गर्भ जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना;

(घ) सम्बन्धित नगर पालिका की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं के क्षेत्रों से भिन्न अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त कूपों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(ङ) नगर पालिका भू–गर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों को क्रियान्वित करना, जैसा कि विहित किया जाय।

जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद्

6–(1) एक जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद का गठन किया जायेगा, जो जिला स्तर पर भू–गर्भ जल संसाधनोंकेप्रबंधन के लिए एक समग्र इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर राज्य भू–गर्भ जल प्रबन्धनऔर नियामक प्राधिकरण को जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद का गठन करने के लिये निदेश जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे;

(क) अध्यक्ष–जिला मजिस्ट्रेट;

(ख) [1][सदस्य सचिव–जिला विकास अधिकारी;]

(ग) राज्य में भू–गर्भ जल प्रबंधन के क्षेत्र में दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले विषय विशेषज्ञ के रूप में एक सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(घ)भू–गर्भ जल के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का 01 सदस्य,जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ङ) अन्य सदस्य भू–गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, उद्यान विभाग तथा वन और वन्य जीव विभाग के (प्रत्येक से एक) जिला स्तरीय प्रतिनिधि होंगे;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7, 2021 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) संबंधित खण्ड पंचायतभू–गर्भ जल प्रबंधन समिति और नगर पालिका भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि (आमंत्रित के रूप में)।

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाय;

(4) जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद के कृत्य निम्नलिखित होंगेः–

(क) सूक्ष्म जल विभाजक पद्धति पर आधारित और यथा विहित मार्गदर्शनों के अनुसार खण्ड पंचायत और नगर पालिका भू–गर्भ जल सुरक्षा योजना का जिला स्तरीय भू–गर्भ जल सुरक्षा योजना के साथ समन्वय स्थापित करना;

(ख) जिला भू–गर्भ जल सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन करना;

(ग) जिला भू–गर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(घ) जल जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना;

(ङ) अधिसूचित और गैर–अधिसूचित क्षेत्रों में समस्त विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं को रजिस्ट्रीकृत करना और गैर–अधिसूचित क्षेत्रों में भू–गर्भ जल निष्कर्षणहेतु प्राधिकार प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वीकृत करना तथा वेधन अभिकरणों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों को क्रियान्वित करनाजैसा कि उत्तर प्रदेशराज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाय या समनुदेशित किया जाय;

(छ) ग्राम पंचायतभू–गर्भ जल उप–समितियों, खण्ड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति और नगर पालिका जल प्रबंधन समितियों और साथ ही साथ राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करना;

राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण

7–(1) राज्य सरकार,गजट में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से एक राज्य प्राधिकरण स्थापित करेगी, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा।

(2) राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे :–

1.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई और भू–गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4.	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5.	निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6.	निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7.	सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य

8.	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
9.	निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश	सदस्य
10.	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11.	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश, जल निगम	सदस्य
12.	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13.	निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
14.	क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–गर्भ जल बोर्ड (उ0क्षे0)	सदस्य
15.	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
16.	उत्तर प्रदेश राज्य में भू–गर्भ जल प्रबंधन का दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले तीन विषय विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे)	सदस्य
17.	भू–गर्भ जल के क्षेत्र में कार्य करने वाला सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का एक प्रख्यात व्यक्ति	सदस्य
18.	संबंधित खण्ड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति, नगर पालिका भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति और जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि (आमंत्रित के रूप में)	सदस्य

(3) निदेशक, भू–गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश,राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा;

(4) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि और रिक्तियों को भरने की रीति तथा सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाय;

(5) अध्यक्ष राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा तथा निदेशक, भू–गर्भ जल विभाग का कार्यालय राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा;

(6) राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के कृत्य निम्नलिखित होंगेः–

(क) धारा 9 के अधीन यथा उपबंधित भू–गर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को अधिसूचित करना;

(ख) धारा 12 के अधीन यथा उपबंधित भू–गर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को गैर अधिसूचित करना;

(ग) धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित भू–गर्भ जल निष्कर्षण की सीमाओं को नियत करना;

(घ) धारा 26 के अधीन यथा उपबंधित भू–गर्भ जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करना;

(7) **राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद,–**

(क) राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण को अपने कृत्यों का समुचित निष्पादन करने और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने योग्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार उतनी संख्या में प्राविधिक कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकती है, जैसाकि वह संस्थागत सहायता, सुविधाओं तथा बजट सहित आवश्यक समझे;

(ख) ऐसे कर्मचारियों के कृत्य और सेवा की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी, जैसाकि विहित किया जाय;

(ग) राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(8) **अन्य समुचित निकायों के लिए सहायताः–**

ग्राम पंचायत उप–समिति/खण्ड पंचायत/नगर पालिका समिति और जिला परिषद को निर्विघ्न और सम्यक् रूप से कार्य करने के लिए कर्मचारी वर्ग तथा कार्यालय के साथ ही साथ समस्त संस्थागत सहायता और कार्य सुविधाओं तथा बजट सम्बन्धी अपेक्षाओं के लिए भी उपबंध किये जायेंगे।

अध्याय–तीन

कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

भू–गर्भ जल विभाग के कर्त्तव्य

8–(1) भू–गर्भ जल विभाग, जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद के माध्यम से समुचित निकाय यथा नगरीय क्षेत्रों के मामले में नगर पालिका भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति और ग्रामीण क्षेत्रों हेतु खण्ड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करेगा;

(2) उक्त विभाग, राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण हेतु प्राविधिक सचिवालय के रूप में कार्य करेगा;

(3)**भू–गर्भ जल के विनियमन के प्रयोजन के लिए क्षेत्रों का अभिनिर्धारण :**

भू–गर्भ जल विभाग,राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों, यथा भू–गर्भ जल विभाग और केन्द्रीय भू–गर्भ जल बोर्ड द्वारा किये गये नवीनतम भू–गर्भ जल संसाधन प्राक्कलन के अनुसार श्रेणीकृत अतिदोहित तथा संकटग्रस्त खण्डों और संकटग्रस्त नगर पालिका/नगरीय क्षेत्रों (जहॉ भू–गर्भ जल स्तरों में महत्वपूर्ण ह्रास हुआ हो अर्थात् पिछले पॉच वर्षों में प्रतिवर्ष 20 सेमी0 ह्रास अभिलिखित किया गया हो) जिन्हें अधिसूचना के माध्यम से विनियमन के प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में अभिहित किया जाना हो, में भू–गर्भ जल के समग्र प्रबंधन तथा विनियमन हेतु समुचित उपाय करने के लिए उक्त संकटग्रस्त नगर पालिका/ नगरीय क्षेत्रों को अभिनिर्धारित तथा चिन्हांकित करेगा;

(4) **भू–गर्भ जल सूचना/आकड़ेः**–अतिदोहित संकटमय खण्डों और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्त उपलब्ध भू–गर्भ जल सूचना/आकड़े भू–गर्भ जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रभागों के प्रभागीय आकड़ा केन्द्रों द्वारा जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषदों को उपलब्ध करायें जायेंगे। ऐसी सूचना भू–गर्भ जल विभाग के वेबसाइट के माध्यम से ऑन–लाइन उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्याय–चार

शक्तियाँ और कृत्य

भू–गर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्तियाँ

9–(1) जहॉ (भू–गर्भ जल विभाग की जानकारियों पर आधारित) सक्षम प्राधिकरणों से परामर्श करने के पश्चात राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण की यह राय हो कि किसी क्षेत्र मे और किसी रूप में विभिन्न प्रयोजनार्थ भू–गर्भ जल का प्रबंधन एवं विनियमन करना और वर्षा जल संचयन/भू–गर्भ जल पुनर्भरण को प्रवर्तित करना तथा अतिदोहित/संकटग्रस्त खण्डों एवं संकटमय नगरीय क्षेत्रों (भू–गर्भ जल विभाग द्वारा यथा

अभिज्ञानित/चिन्हांकित) जहॉंभू–गर्भ जल स्तर संकटग्रस्त या चिन्ताजनक स्तरों तक पहुँच गये हों, में विभिन्न समुचित जल संरक्षण/जल बचत/जल दक्ष पद्धतियों को क्रियान्वित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन हो, वहाँ वह राज्य सरकार को ऐसी रीति से, जैसाकि विहित किया जाय, यह परामर्श देगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से अधिसूचित क्षेत्र घोषित करे :

परन्तु यह कि,–

(क) इस उपधारा के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्टदिनांक, अधिसूचना प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीन माह से पूर्वतर दिनांक नहीं होगा;

(ख) इस धारा के अधीन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक अधिसूचना को गजट में प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त उस क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले अन्यून तीन दैनिक क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा और उसे यथा विहित अन्य रीति से भी तामील किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सीमांकन और तत्सम्बंधी अधिसूचना जारी किये जाने की प्रक्रिया वही होगी जैसाकि विहित किया जाय।

(3) उप–धारा–(1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना की नवीन भू–गर्भ जल निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार समीक्षा की जायेगी और रिपोर्ट के निष्कर्षो के अनुसार वह इस रूप में होगी जैसाकि विहित किया जाय;

अधिसूचित क्षेत्रों में उपयोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

10–(1) विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भू–गर्भजल उपयोक्ताओं का पंजीकरण अधिसूचित क्षेत्रों (नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों) में अवस्थित प्रत्येक वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक कूप उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु सम्बंधित जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद् को आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया,समय सीमा, प्रारूप, फीस आदि और अन्य उपबंध वही होंगे जैसाकि विहित किया जाय;

परन्तु यह कि,–

(क) जहां कोई विद्यमान वाणिज्यिक उपयोक्ता या सामूहिक उपयोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भू–गर्भ जल निकालते हुए पाया जाता है तो यथास्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय–आठ के अधीन दंडित किए जाने का भागी होगा/होगी/होंगे;

(ख) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत कूप निष्क्रिय हो जाता है वहां भू–गर्भ जल के उपयोक्ता द्वारा उक्त तथ्य को तत्काल संबंधित जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद के संज्ञान में लाया जाएगा;

(ग) जहॉं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र धारक कोई भू–गर्भ जल उपयोक्ता किसी रजिस्ट्रीकृत कूप में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन करना चाहता हो वहाँ यथास्थिति उसे या व्यक्ति समूह या किसी अभिकरण को तद्निमित्त राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण से यथाविहित रीति से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित उपयोक्ताओं से भिन्न प्रत्येक विद्यमान और भावी भू–गर्भ जल उपयोक्ता जिसमें घरेलू और कृषि भू–गर्भ जल उपयोक्ता सम्मिलित है भू–गर्भ जल उपयोग के लिए संबंधित खंड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति/नगर पालिका जल प्रबंधन समिति को ऑनलाइन या सीधे रजिस्ट्रीकृत करना होगा । ऑनलाइन सूचना हेतु वेब पोर्टल के संबंध में सूचना उक्त समिति द्वारा प्रदान की जाएगी।

गैर अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भू–गर्भ जल उपयोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

11–(1) गैर अधिसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक कूप (विद्यमान या सिंक किया जाने वाला) भू–गर्भ जल उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र स्वीकृत किए जाने हेतु संबंधित जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद को आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया, समय–सीमा, प्रारूप, फीस इत्यादि और अन्य उपबंध वही होंगे जैसा कि विहित किया जाए;

परन्तु यह कि,–

(क) यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिकभू–गर्भ जल उपयोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भू–गर्भ जल निकालतेहुएपाया जाता है तोयथास्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय 8 के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा/होगी/होंगे;

(ख) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत कूप निष्क्रिय हो जाता है तो भू–गर्भ जलउपयोक्ता द्वारा तत्काल इस तथ्य को सम्बंधित जिलों के भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद के संज्ञान में लाया जायेगा;

(ग) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक कोई भू–गर्भ जल उपयोक्ता,किसी रजिस्ट्रीकृत कूप में कोई परिवर्द्धन यापरिवर्तन करना चाहता हैतो यथास्थिति उसे या व्यक्ति समूह या किसी अभिकरणको तद्निमित्त सम्बंधित जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद से यथा विहित रीति से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित उपयोक्ताओं से भिन्न घरेलू या कृषि भू–गर्भ जल उपयोक्ता सहित प्रत्येक विद्यमान तथा भावी भू–गर्भ जल उपयोक्ता को आन लाइन या सीधे सम्बंधित खण्ड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति/नगरपालिका जल प्रबंधन समिति से भू–गर्भ जल उपयोगों हेतु रजिस्ट्रीकृत कराना होगा। आन लाइन सूचना हेतु वेब पोर्टल के सम्बंध में उक्त समिति द्वारा सूचित किया जायेगा।

अधिसूचित क्षेत्रों में नवीन कूप निर्माण पर प्रतिबंध

12–(1) कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह या संस्था या अभिकरण या प्रतिष्ठान, अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर सरकारी पेयजलापूर्ति तथा वृक्षारोपण योजनाओं के सिवाय सरकारी योजनाओं के अधीन बोरिंग/नलकूप निर्माण सहित वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोग हेतु कोई नवीन कूप निर्मित/सिंक नहीं करेगा। यदि कोई इस उपधारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता/करती है तो वह अध्याय 8 के अधीन दण्ड का भागी होगा/होगी।ऐसा प्रतिबन्ध तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा नवीन भूगर्भ जल संसाधन प्राक्कलन रिपोर्ट के आधार पर या नगरीय भू–गर्भ जल स्तरों में गिरावट होने की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण सुधार होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामकप्राधिकरण के परामर्श पर उक्त क्षेत्र को गैर अधिसूचित नहीं करदिया जाता है।

(2) अधिसूचित क्षेत्रों में वाणिज्यिक/सामूहिक उपयोगों के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या संस्था या अभिकरणों द्वारा अपरिष्कृत/अप्रसंस्कृत/ अनभिक्रियित भू–गर्भ जल निकालने, उसका विक्रय करने तथा उसकी आपूर्ति करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी और ऐसा कार्य किया जाना अध्याय–आठ के अधीन दण्डनीय होगा।

अधिसूचित क्षेत्रों में भू–गर्भ जल सुरक्षा योजनाओं का तैयार किया जाना और उनका क्रियान्वयन

13–अधिसूचित क्षेत्रों में भू–गर्भ जल संसाधनों के अविरतता को सुनिश्चित करने तथा उसे प्राप्त करने के लिए भू–गर्भ जल सुरक्षा योजनाएँ क्रमबद्ध क्रियान्वयन हेतु यथा विहित रीति से तैयार की जाएँगी।

गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भू–गर्भ जल निकालने के प्राधिकार को स्वीकृत किया जाना

14–गैर अधिसूचित क्षेत्र में वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोग के लिए भू–गर्भ जल निकालने के प्रयोजनार्थ कोई कूप खोदने के इच्छुक किसी व्यक्ति या व्यक्ति–वर्ग या संस्था या अभिकरण या प्रतिष्ठान को इस प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु सम्बन्धित जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद को आवेदन करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया,समय–सीमा, प्रारूप,आवेदन, फीस इत्यादि और विभिन्न उपबन्ध, निबन्धन और शर्तें वही होंगी जैसाकि विहित किया जाय :

परन्तु यह कि भू–गर्भ जल के पूर्व से विद्यमान उपयोक्ता को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर तद्‌निमित्त इस धारा के अधीन प्राधिकार प्रमाण–पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन करना होगा :

परन्तु यह और कि,–

(क) निबंधन और शर्तों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किन्तु वे निम्नलिखित तक निर्बन्धित नहीं होंगे;

(एक) जल की अधिकतम मात्रा जिसे निकालने की अनुज्ञा होगी;

(दो) विद्यमान प्रदूषण नियंत्रण मानकों और उपायों के माध्यम से भू–गर्भ जल संदूषण निवारण की सावधानियां;

(तीन) अपनाये जाने वाले वर्षा जल संचयन सहित संरक्षण उपायों का विवरण;

(चार) भू–गर्भीय जल संभाव्यताके अनुसार भू–गर्भजल पुनर्भरण के उपाय;

(पॉच) उपयोगार्थ निकाले गये भू–गर्भ जल का किसी विहित अनुपात में पुनः उपयोग करना;

(छः) अपशिष्ट जल कोबहाने से पूर्व उसे विहित मानकोंतक लाने के लिए उसका शोधन करना;

(सात) सर्वाधिक दक्ष जल उपयोग पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना तथा उसके अनुसार चलना;

(ख) किसी विनिर्दिष्टप्रयोजन हेतु प्रदान किये गये प्राधिकार/ अनापत्ति का प्रयोग, प्रदान किये गये प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा;

(ग) प्राधिकार प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र धारक को, प्राधिकार के अधीन निकाले गये भू–गर्भ जल का वाणिज्यिक प्रयोग और/या लाभ के लिए, किसी अन्य कोकिसी भी नाम से या प्रारूप में विक्रय करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा;

(घ) वांछित प्रयोजन के लिएभू–गर्भ जलनिकालने और उसका उपयोग करने हेतु प्राधिकार प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे नये उपयोक्ता, यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें कूप का निर्माण कार्य पूरा कर लेने के पश्चात् यथाविधि विहित रीति से सम्बन्धित जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा;

(ङ) (एक) जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद, प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण–पत्र की निबंधन और शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण–पत्र रद्द कर सकती है;

परन्तु यह कि सम्बन्धित जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद, प्राधिकार प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र धारक को उक्त प्रमाण–पत्र रद्द करने से पूर्व सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगी।

(दो) इस धारा के अधीन जारी किया गया प्राधिकार प्रमाण–पत्र/ अनापत्ति प्रमाण–पत्र असंक्राम्य होगा। तथापि किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया ऐसा प्रमाण–पत्र, उसका/उसकी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त किया जायेगा और उक्त प्रमाण–पत्र शेष अवधि के लिए तब तक निरन्तर विधिमान्य रहेगा जब तक कि विधिक उत्तराधिकारी ऐसे मृत प्रमाण–पत्र धारक द्वारा कृत किया–कलापों को जारी रखते हैं। तथापि ऐसी प्रसुविधा जिसके लिए उक्त प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया था, के लिए सम्पत्ति का अन्तरण किये जाने पर प्राधिकार प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि नये स्वामी द्वारा किया–कलाप की प्रकृति अपरिवर्तित रूप में जारी रखी जाती है।

(तीन) प्राधिकार प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र, प्रमाण–पत्र में नियत अवधि तक के लिए विधिमान्य होगा;

(चार) जहॉ प्राधिकार प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र की विधिमान्यता समाप्त हो गयी हो वहॉ ऐसे प्रमाण–पत्र धारक को तत्सम्बंधीं निरन्तरता के लिए नये सिरे से आवेदन करना होगा।

वाणिज्यिक, औद्योगिक अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू–गर्भ जल उपयोक्ताओं हेतु भू–गर्भ जल निकालने की सीमा नियत किया जाना

15–(1) राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, भू–गर्भ जल विभाग के परामर्श से (सम्बंधित क्षेत्र के भू–गर्भ जलीय शर्तों तथा संसाधन संभाव्यता पर आधारित) अधिसूचित और साथ ही साथ गैर अधिसूचित क्षेत्रों में कूप हेतु रजिस्ट्रीकरण जारी करने के दौरान विद्यमानवाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू–गर्भ जल उपयोक्ताओं हेतु और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में कूप हेतु रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकार प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के दौरान समस्त नवीन वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू–गर्भ जल उपयोक्ताओं हेतु भू–गर्भ जल निकालने की सीमा यथाविहित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार नियत करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन नियत सीमा का उल्लंघन करके भूगर्भ जल नहीं निकाल सकता है।

भू–गर्भ जल निकालने/खींचने पर फीस

16–(1) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू–गर्भ जल उपयोक्ता, जिसे आगे इस धारा में उक्त उपयोक्ता कहा गया है, भू–गर्भ जल खींचने की मात्रा के आधार पर वार्षिक रूप में प्रभारित किये जाने वाले शुल्क का भुगतान किये बिना दोनों अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भू–गर्भ जल नहीं निकालेगा। फीस यथाविहित रूप में जमा की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 के अधीन प्रभारित जल उपकर के अतिरिक्त होगी।

(3) निकाले गये भूगर्भ जल की मात्रा को मापने तथा उसे अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ उक्त प्रत्येक उपयोक्ता को ऐसे मानको का मीटर ऐसे स्थानों पर लगाना होगा, जैसाकि विहित किया जाय और यह मान लिया जायेगा कि मीटर द्वारा अभिलिखित की गयी मात्रा में उक्त उपयोक्ता द्वारा भू–गर्भ जल निकासी की गयी है, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाय। निकालने हेतु अनुज्ञात/प्राधिकृत भू–गर्भ जल की मात्रा के सापेक्ष वास्तविक रूप में निकाले गये जल की जॉच करने हेतु एक वार्षिक भू–गर्भ जल लेखा परीक्षा संचालित की जायेगी।

बेधन अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण

17–(1) सम्बंधित जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद में रजिस्ट्रीकरण के बिना फर्म, अभिकरण या कंपनी सहित कोई व्यक्ति भू–गर्भ जल निकालने हेतु भूमि का न तो बेधन करेगा और न ही उसमें लगेगा।

(2) भू–गर्भ जल निकालने हेतु भूमि बेधन में पहले से ही लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, अभिकरण या कंपनी को जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद में रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसी अवधि के भीतर आवेदन करना होगा जैसाकि उक्त परिषद द्वारा अपेक्षा की जाय।

किसी भू–गर्भ जल उपयोक्ता के लिए अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में प्राधिकरण की शक्तियाँ

18–अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भू–गर्भ जल उपयोक्ता तथा बेधन अभिकरणों के लिए प्रत्येक समुचित प्राधिकरण की शक्ति वही होगी जैसाकि विहित की जाय।

आदेश आदि का तामील किया जाना

19–धारा 14 के अधीन जारी प्रत्येक आदेश या निर्देश को उसी रीति से तामील किया जायेगा, जैसाकि विहित किया जाय।

प्रतिकर दावा करने पर प्रतिबंध

20–किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन कृत किसी कार्यवाही के आधार पर उसे हुई किसी क्षति के लिए राज्य सरकार या किसी समुचित प्राधिकरण से किसी प्रकार की क्षति या प्रतिकर का दावा करने का हक नहीं होगा।

शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन

21–राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण, लिखित रूप मेंसामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों या उसके द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्यों में से समस्त शक्तियों या किसी शक्ति का प्रयोग/समस्त कर्तव्यों/किसी कर्तव्य का निर्वहन, ऐसी परिस्थितियों तथा ऐसी शर्तों, यदि कोई हो में जैसाकि उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, इस निमित्त राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात जारी आदेश में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति तथा समुचित निकाय द्वारा भी किया जा सकता है।

प्राधिकरण के कर्मचारी, लोक सेवक होंगे

22–राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी, जब इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों केअनुसरण में कार्यरत हों या उनका कार्यरत होना आशयित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझें जायेंगे।

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के सापेक्ष सुरक्षा

23–इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सद्भावना पूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या सरकार के किसी समुचित प्राधिकरण, किसी अन्य अधिकारी या किसी समुचित प्राधिकरण के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई अभियोग, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

अध्याय–पांच

भू–गर्भ जल का प्रदूशण–निवारण

भू–गर्भ जल गुणवत्ता वाले संवेदनशील परिक्षत्रों का सीमांकन तथा संरक्षण

24–(1) भू–गर्भ जल विभाग, राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद और विशेषज्ञ निकायों यथा केन्द्रीय भू–गर्भ जल बोर्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों, जिनकी भू–गर्भ जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण करने और पेयजल आपूर्ति हेतु सुरक्षित गुणवत्तापरक परिक्षेत्रों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ भू–गर्भ जल की गुणवत्ता खतरनाक प्रदूषण से प्रभावित पायी गयी है, की (ऊर्ध्व एवं पार्श्व रूप में) पहचान एवं सीमांकन करेगा।

(2) उपधारा (1) में यथा सीमांकित क्षेत्र, भू–गर्भ जल प्रदूषण निवारण एवं रोकथाम के प्रयोजनार्थ प्रत्येक दो वर्ष में राज्य सरकार के भू–गर्भ जल विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से भू–गर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र घोषित किये जायेंगे।

25–ग्राम पंचायत भू–गर्भ जल उप समितियॉ, खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समितियॉ और नगरपालिका भू–गर्भ जल प्रबंधन समितियॉ प्रदूषण स्रोतों सहित भू–गर्भ जल प्रदूषण से सम्बन्धित सूचना संग्रह करने के लिए उत्तरदायी होंगी। ऐसी सूचना सम्बन्धित जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषदों के स्तर पर राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण को समुचित कार्यवाही हेतु अग्रतर प्रस्तुत किये जाने के लिए संकलित तथा समेकित की जायेगी।

भू–गर्भ जल प्रदूषण/ संदूषण से सम्बंधित सूचना संग्रहण

26–(1) राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोक्ता भू–गर्भ जल प्रदूषित नहीं करेगा। वह सम्बंधित जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद के माध्यम से जहां कहीं आवश्यक हो यथा विहित रूप में अनिवार्य रूप से शोधन संयत्र स्थापित कराना सुनिश्चित करेगा।

भू–गर्भ जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसा भू–गर्भ जल उपयोक्ता, विहित अवधि के भीतर शोधन संयत्र स्थापित करने में विफल हो जाय वहां राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसे उपयोक्ता के लागत पर आवश्यक शोधन संयत्र निर्मित करवाये और धारा 39 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन ऐसे उपयोक्ता के विरूद्ध कार्यवाही करें।

27–(1) कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ता, किसी संक्रिया या प्रसंस्करण या शोधन तथा निस्तारण प्रणाली के माध्यम से–

जल–भृतों में प्रदूषक पदार्थों आदि का निस्तारण करने हेतु कूप के उपयोग पर प्रतिषेध

(क) अपशिष्ट जल, मल, व्यापारिक तथा घरेलू वहिःस्राव या संदूषक पदार्थों का निस्सारण या निस्तारण कूप में नहीं करेगा या;

(ख) भूमि पर अपशिष्ट का ढेर नहीं लगायेगा जो घुलकर जलभृत में बह सकता है, या जिसके कारण संदूषक पदार्थ चूकर उसमें फैल सकते हैं तथा उसमें विषैले जीव उत्पन्न हो सकते हैं।

(2) उपधारा (1) के उपबंध का उलंघन करने वाला कोई भू–गर्भ जल उपयोक्ता, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

28–(1) खुली भूमि, मैदान, सड़कों (पक्की/कच्ची)कृषि फार्मों पर गिरने वाले (छत के ऊपर के सिवाय) वर्षा जल से भू–गर्भ जल का कृत्रिम पुनर्भरण किए जाने की प्रक्रिया में जलभृतों में पुनर्भरण, बोरवेल, पुनर्भरण कूपक अन्तःक्षेपण कूप आदि के माध्यम से सीधे पुनर्भरण किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

खुले क्षेत्रों से जलभृतों में सीधे पुनर्भरण पर प्रतिबंध

उप धारा (1) के उपबंध का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दंडित किए जाने का भागी होगा।

29–(1) समुचित प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोक्ता, दूषित जल या किसी अन्य प्रदूषणकारी पदार्थ का निस्सारण या निस्तारण करके तालाबों, नदियों, कूपों आदि को प्रदूषित नहीं करेगा।

तालाबों, नदियों, कूपों आदि के प्रदूषण पर प्रतिशेध

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

(3) समुचित प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के ऐसे समस्त उपाय करने होंगे कि घरेलू गृहस्थी के किसी अपशिष्ट से तालाब, नदियॉ, कूप आदि प्रदूषित न हों।

अध्याय– छः

स्वतः विनियमन, वर्षा जल संचयन, भू–गर्भ जल पुनर्भरण, पुनः उपयोग तथा पुनः प्रयोग और जल भराव निवारण

स्वतः विनियमन

30–(1) अधिसूचित क्षेत्रों(ग्रामीण) के कृषक स्वतः विनियमन की प्रक्रिया को ग्रहण करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत भू–गर्भ जल उप समितियों और खण्ड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समितियों द्वारा प्रोत्साहित किए जाएंगे।

(2) स्वतः विनियमन ग्रहण करने की प्रक्रिया :–

संकटग्रस्त क्षेत्रों में भू–गर्भ जल संसाधनों को सुरक्षित रखने, संरक्षित रखने तथा उन्हें विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित रीति से स्वतः विनियमन की प्रक्रिया ग्रहण की जाएगी:–

(क) कृषक यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न फसलों हेतु वैज्ञानिक रूप से संस्तुत सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित सिंचाई जल मात्रा/फसल सिंचाई संख्या का प्रयोग करते हुए भू–गर्भ जल दुर्व्ययन तथा अति सिंचन से बचा जा सकता है;

(ख) अधिसूचित क्षेत्रों(ग्रामीण) के कृषक कृषि बंधों, कृषि तालाबों, अल्प जल फसल बीजों के प्रयोग और प्रक्षेप तथा फुहारा सिंचाईप्रणाली के प्रयोग सहित विभिन्न जल संरक्षण/जल बचत पद्धतियां अपनाने हेतु प्रोत्साहित किए जाएंगे;

(ग) दोनों ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में भू–गर्भ जल के प्रत्येक उपयोक्ता को, मितव्ययिता एवं दक्षता पूर्वक भू–गर्भ जल निकालने और उसका उपयोग करने, जल दुर्व्यय को रोकने, पुनः उपयोग किए गए जल का प्राथमिकता पर प्रयोग करने, वर्षा जल संचयन तथा पुनर्भरण पद्धतियों को ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्षा जल संचयन, भू–गर्भ जल पुनर्भरण तथा जलागम संरक्षण

31–(1) समुचित प्राधिकरण, भूवैज्ञानिक शर्तों के अनुसार वर्षा जल संचयन और जलागम संरक्षण को प्रोत्साहित करेंगे जो जल सुरक्षा योजनाओं का अभिन्न अंग होना चाहिए। समुचित प्राधिकरण, संकटग्रस्त नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के संबंध में विभिन्न भू–गर्भ जल उपयोक्ताओं को संवेदनशील बनाएंगे। भू–गर्भ जल उपयोक्ता समुचित प्राधिकरणों से वर्षा जल–संचयन प्रणाली का उपयुक्त प्राविधिक रेखा चित्र तथा अभिकल्प प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें विकास परख योजनाओं तथा परियोजनाओं से संबंधित समस्त प्राकृतिक संसाधनों के एकीकरण तथा उनमें परिवर्तन के माध्यम से अपनी अधिकारिता के भीतर वर्षा जल–संसाधनों के संवर्धन हेतु एकीकृत प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, उपयोग तथा विनियमन के लिए समस्त संभावित कदम उठाने होंगे।

(2) तत्समय प्रवृत्त राज्य की अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी नगर पालिका जल प्रबंधन समिति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सम्यक रूप से जारी छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का उपबंध करने की विद्यमान भवन उप विधियों के अधीन निर्धारित शर्तें अधिरोपित करेंगी। ऐसे निर्धारण, भवन योजनाएँ अनुमोदित करने वाले या स्वीकृत करने वाले संबंधित सरकारी अभिकरणों पर बाध्यकारी होंगे। सामूहिक आवास/ कॉलोनियों हेतु सम्मिलित पुनर्भरण प्रणाली का उपबंध किया जाना भी भवन उप विधियों के अधीन अनिवार्य होगा।

(3) जलागम संरक्षण के अंतर्गत क्षेत्र के भू–भाग/मिट्टी की दशा की प्रकृति पर आधारित समुचित भू–गर्भ जल संरक्षण तथा पुनर्भरण संरचनाएं सम्मिलित हैं।

भू–गर्भ जल का पुनः उपयोग तथा पुनः प्रयोग

32–समुचित प्राधिकरण अपने क्षेत्रों के अंतर्गत अपेय नगरीय औद्योगिक तथा कृषि प्रयोग हेतु और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से पुनः प्रयोग के माध्यम से पेयजल आपूर्ति में वृद्धि हेतु जल का पुनः उपयोग किए जाने तथा विशिष्ट रूप से पोषणीय जल का पुनः प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे;

परंतु यह कि अवधारित सीमा से अधिक भू–गर्भ जल निकालने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ता को ऐसे प्रयोजनों, जो उपयुक्त हों, के लिए जल का पुनः उपयोग करने के लिए आदेशित किया जाएगा। समुचित प्राधिकरण ऐसे आदेशों को प्रवर्तित करने के लिए अनुश्रवणकारी तथा प्रोत्साहनकारी तंत्र अभिकल्पित करेंगे।

जल भराव निवारण तथा न्यूनकरण

33–(1) समुचित प्राधिकरण, अपने क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे क्रियाकलापों को हतोत्साहित तथा उनकी रोकथाम करेंगे जिनके कारण भू–जलभराव होना संभाव्य हो। ऐसे निकाय जलभराव के विरुद्ध भू–संरक्षण हेतु समस्त संभावित नियामक उपाय करेंगे;

(2) नहर समादेशों में सिंचाई विभाग को उप–भू–पृष्ठ जलप्लावित स्थितियों में प्रभावी रूप से सुधार करने के लिए समुचित उपाय करना होगा तथा उपबंध करना होगा;

(3) ग्राम पंचायत भू–गर्भ जल उपसमिति, खंड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति या नगरपालिका जल प्रबंधन समिति जलप्लावित क्षेत्रों में ऐसे क्रिया–कलापों, जिनके कारण जलभराव की स्थिति बिगड़ सकती है, का विनियमन करने के लिए ऐसी नियम/शर्तें अधिरोपित कर सकती हैं जैसा कि विहित किया जाए। खंड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति/नगरपालिका जल प्रबंधन समिति, जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषदों तथा संबंधित विभागों के परामर्श से भू–शोधन तथा भू–जल निकास से संबंधित समुचित मध्यक्षेपों के माध्यम से यथा विहित रीति से जलभराव को कम करने का उपाय करेगी;

(4) जलभराव न्यूनकरण के उपाय, विशेषज्ञ निकायों/संबंधित विभागों के सम्यक परामर्श से समुचित प्रसंस्करणों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए किए जाएंगे।

नदियों, तालाबों, कूपों आदि का पुनरूज्जीवन और जीर्णोद्धार

34–समुचित प्राधिकरणों को प्रत्येक ग्राम में नदियों, तालाबों, कूपों आदि के पुनरूज्जीवन और जीर्णोद्धार के लिए कार्य करना होगा। समुचित प्राधिकरणों को ऐसी नदियों, तालाबों, कूपों आदि को संरक्षित करने हेतु दक्ष योजनाओं को विकसित और क्रियान्वित करना होगा।

अध्याय–सात

प्रभावपूर्ण निर्धारण तथा पारदर्शिता

प्रभावपूर्ण निर्धारण

35–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित प्राधिकरणों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपनी अधिकारिता क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी क्रियाकलापों के दोनों सामाजिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं का प्रभावपूर्ण निर्धारण करने का उपक्रम करें।

(2) प्रभावपूर्ण निर्धारण की प्रक्रिया में अल्पकालिक तथा संचयी प्रभावपूर्ण निर्धारण सम्मिलित होगा जो विनिर्दिष्ट रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों में हो सकता हैः–

(क) जीवन जलाधिकार पर प्रभाव;

(ख) पेय जल संसाधनों पर प्रभाव;

(ग) भू–गर्भ जल गुणवत्ता तथा परिमाण पर प्रभाव;

(घ) कृषि उत्पादन पर प्रभाव;

(ङ) नदियों तथा जल पिंडों सहित पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव;

(च) भू–उपयोग पर प्रभाव;

36–(1) समुचित प्राधिकरणों का अपनी अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत यह कर्तव्य होगा कि वे नागरिकों के साथ प्रभावी तथा मित्रतापूर्ण पारदर्शिता स्थापित करें; **पारदर्शिता प्रणाली**

(2) सूचना की न्यूनतम विषयवस्तु, आवर्तन तथा अन्य विवरण सतर्कतापूर्वक प्रस्तुत किए जाएंगे;

(3) किसी जिला के भीतर सूचना हेतु समस्त अनुरोधों को युक्तियुक्त अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

37–(1) समुचित प्राधिकरण अपनी–अपनी अधिकारिता क्षेत्र के संबंध में सतर्कतापूर्वक सूचना का प्रकटीकरण करेंगे; **सतर्क प्रकटीकरण से सम्बन्धित कर्त्तव्य**

(2) समुचित निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह अभिलेखों का प्रसार इस रीति से करें कि कोई भी व्यक्ति सूचना को सुगमतापूर्वक समझ सके। इस दायित्व में सूचना का समेकित तथा संक्षिप्त रूप में प्रसार करना भी सम्मिलित है।

38–इस अधिनियम की धारा 35 के अधीन ग्रहीत क्रियाकलापों का प्रभावपूर्ण निर्धारण किए जाने पर तत्संबंधी सूचना सार्वजनिक रूप में पहुँच हेतु इंटरनेट पर रखी जाएगी। **सूचना सार्वजनिक रूप में रखी जायेगी**

अध्याय–आठ

अपराध और शास्तियां

[1][**39–(1)** यदि कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक अथवा भूजल के वृहद उपभोक्ता, अथवा कोई भी ड्रिलिंग अभिकरण, समुचित प्राधिकारी अथवा राज्य भूजल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए किसी भी अधिकार का प्रयोग करने में बाधा पहुंचाती है, तो ऐसा व्यक्ति, प्रथम अपराध के मामले में, कारावास से जो अन्यून छह मास होगा लेकिन जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, अथवा जुर्माने से जो अन्यून दो लाख रुपए होगा लेकिन जिसे पाँच लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। **अपराध और शास्तियां**

द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती किए गए अपराध की स्थिति में, ऐसा व्यक्ति पूर्व अपराध हेतु दी गई जुर्माने की धनराशि के दोगुने जुर्माने के साथ–साथ उक्त उपधारा के अधीन दी गई कारावास की सजा का भी दायी होगा। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत प्राधिकार अथवा अनापत्ति प्रमाण–पत्र रद्द किया जा सकेगा।

(2) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक अथवा भूजल के वृहद उपभोक्ता जो धारा 27 अथवा 29 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह–

(क) प्रथम बार अपराध हेतु, शास्ति, जो दस लाख रुपए से अन्यून होगी, के लिए दायी होगा;

(ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध हेतु शास्ति, जो पंद्रह लाख रुपये से अन्यून होगी, के लिए दायी होगा;

(3) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या भूजल के वृहद उपभोक्ता अथवा वेधन अभिकरण, जो उपधारा (1), (2) के अधीन या अध्याय पांच के अधीन उपबंधों के सिवाय, इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाए गए नियमों, का उल्लंघन करता है अथवा अनुपालन करने में विफल रहता है, वह न्यूनतम शास्ति जो विहित की जाय और जो पॉच लाख रुपये तक हो सकता है, के लिए दायी होगा।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 2026 की अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित।

द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती उल्लंघन की स्थिति में, ऐसा व्यक्ति शास्ति के लिए दायी होगा जो पूर्व में अधिरोपित राशि का दुगुना होगा।

इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्राधिकार अथवा अनापत्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

(4) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक अथवा सामूहिक भूगर्भ जल का उपभोक्ता, जो धारा 26 की उपधारा (2) अथवा धारा 28 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह–

(क) प्रथम उल्लंघन हेतु, न्यूनतम शास्ति जो विहित की जाय और जो दस लाख रुपये तक हो सकती है, के लिए दायी होगा;

(ख) किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन हेतु न्यूनतम शास्ति जो चालीस लाख रुपये तक हो सकती है, के लिये दायी होगा;

(5) कोई भी जलापूर्तिकर्ता (सरकारी पेयजल आपूर्ति योजनाओं से भिन्न), जो ऐसे भूगर्भ जल की आपूर्ति करता है या कराता है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विहित गुणवत्ता मानक को पूर्ण करने में विफल हो, न्यूनतम शास्ति जो विहित की जाय और जो पांच लाख रूपये तक हो सकती है, के लिए दायी होगा।

(6) जो कोई किसी भवन का स्वामी होते हुए, ऐसे रेखाचित्र स्वीकृत करने हेतु सक्षम किसी विकास प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी रेखाचित्र, अभिकल्प और मार्गदर्शनों के अनुसार भूगर्भ जल पुनर्भरण करने के लिए वर्षा जल संचयन तंत्र प्रतिष्ठापित करने में विफल रहता है, तो वह भवन उपविधियों के अधीन निर्मित संबंधित उपबंधों हेतु दायी होगा।**]**[1]

न्यायनिर्णयन एवं वसूली

[2]**[39–क** (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, धारा 39 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाय, किसी अधिकारी को पदाभिहित कर सकेगी।''

(2) शास्ति की अधिरोपित राशि का संदाय न किए जाने की स्थिति में, राशि भू–राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली योग्य होगी।**]**

कंपनियों द्वारा अपराध

40–(1) जब कभी किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो तब प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था या उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा;

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया हो या उसकी ओर से की गई किसी उपेक्षा के कारण हुआ हो वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण :–

(1) इस धारा के प्रयोजन के लिए कंपनी का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अंतर्गत कोई फर्म या अन्य संगम या व्यक्ति भी है; और

(2) किसी फर्म के संबंध में निदेशक का तात्पर्य फर्म में किसी भागीदार से है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 2026 की अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 2026 की अनुसूची द्वारा बढ़ाया गया।

अपराधों का प्रशमन

41–[1]**[(1)** धारा (39)की उपधारा (1)के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, ऐसे अधिकारियों जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, द्वारा अभियोग संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात अभियुक्त के आवेदन पर न्यूनतम विहित जुर्माना के साथ प्रशमन फीस स्वरूप अपराध के लिए विहित न्यूनतम जुर्माना का पचास प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात, किया जा सकता है :

परंतु यह कि प्रशमन का उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा;**]**

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन किसी अपराध का प्रशमन करने की शक्ति का प्रयोग करेगा;

(3) किसी अपराध के प्रशमन हेतु प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय;

(4) जहां किसी अपराध के प्रशमन, कोई अभियोग संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय वहां ऐसे अपराधी, जिसके संबंध में इस प्रकार अपराध प्रशमित किया जाय, के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोग नहीं संस्थित किया जाएगा;

(5) जहाँ किसी अपराध का प्रशमन, कोई अभियोग संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाय वहां ऐसा प्रशमन उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें अभियोग लम्बित हो और अपराध प्रशमन का इस प्रकार संज्ञान लिए जाने पर उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार प्रशमन किया जाय, को उन्मोचित कर दिया जाएगा।

अपराधों का संज्ञान

42–(1)इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे और किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे;

(2) जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद या किसी क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई किसी शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है :

परन्तु यह कि अभियोग का पहल करने के पूर्व क्षुब्ध व्यक्ति को अभियोग का पहल करने के लिए अपने आशय से अवगत कराते हुए जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद को एक माह की नोटिस देनी होगी।

अध्याय–नौ

शिकायत निवारण

भू–गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी

43–(1) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिला भू–गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

(2) कोई भी व्यक्तिभू–गर्भ जल के प्रबंधन, संरक्षण, निष्कर्षण और प्रदूषण से संबंधित बिन्दुओं पर अपना/अपनी शिकायत, जिला भू–गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है/सकती है;

(3) जिला भू.गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के विनिश्चय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, अपना/अपनी शिकायत राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन तथा विनियमन प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकता है/सकती है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7, 2021 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

भू–गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी की अधिकारिता और उसकी शक्तियां

44–(1) जिला भू–गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के पास अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 41की उप धारा (2)में उल्लिखित समस्त शिकायतों की अधिकारिता होगी;

(2) शिकायतें, जिला भू–गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष यथाविहित रीति से प्रस्तुत की जाएगी;

(3) जिला भू–गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी, किसी अनुवर्ती समय जो तीस दिन से अधिक नहीं होगा, में शिकायत प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत भू–गर्भ जल उप समिति/खण्ड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति/नगर पालिका जल प्रबंधन समिति या जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद के माध्यम से समुचित कार्रवाही करेगा;

अध्याय–दस

प्रकीर्ण

समुचित प्राधिकरणों से सूचना मांगने की शक्ति

45–राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन तथा नियामक प्राधिकरण और जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषदों के पास राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी कोई सूचना, जो उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाई गई नियमावली, विनियमावली तथा उप.विधियों के अधीन उनकी शक्तियों के प्रयोग तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित हो, मांगने की शक्ति होगी और ऐसा विभाग या व्यक्ति ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा/होगी।

अधिनियम का उल्लंघन करके खोदे गये कूपों को हटाने की समुचित प्राधिकरणों की शक्तियां

46–(1) जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद इस अधिनियम के उपबंध के अध्यधीन किसी ऐसे वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू–गर्भ जल उपयोक्ता और किसी विद्यमान अभिकरण जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके कूप सिंक किया हो या कर रहा हो या जिसने जल निकाला हो या निकाल रहा हो से लिखित रूप में नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट अन्यून पन्द्रह दिन की समयावधि के अंतर्गत इस प्रकार जल का निकाला जाना बंद करे और कब्जाधीन कूप के स्वामी या व्यक्ति से यह भी अपेक्षा कर सकती है कि वह कूप को अपने व्यय पर और ऐसी रीति से जैसा कि उक्त परिषद ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करें, उसको बंद या मुहर बंद कर दे;

(2) यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील की गई हो नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस प्रकार कूप खुदाई बंद नहीं करता है या बंद करता है किंतु समुचित प्राधिकरण के समाधान प्रद रूप में कूप बंद या मुहरबंद नहीं करता है तो (सम्बंधित) परिषद भूमि में प्रवेश करके उक्त कूप को बंद या मुहरबंद कर सकती है;

(3) उपधारा (2) के अधीन (सम्बंधित) परिषद द्वारा उपगत लागत की वसूली, उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किए गए व्यक्ति से, भू–राजस्व बकाया के रूप में की जा सकती है।

पूर्व विद्यमान अधिकार

47–(1) भू–गर्भ जल उपयोक्ता के पूर्व–विद्यमान अधिकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहना जारी रहेंगे;

(2) भू–गर्भ जल उपयोक्ता, किन्हीं विधिक या अन्य अधिकारों, जो इस अधिनियम के अधीन समाप्त हो गए हैं, के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

भू–गर्भ जल निधि

48–राज्य सरकार, भू–गर्भ जल निधि नामक एक निधि सृजित करेगी और शास्तियों, रजिस्ट्रीकरण फीस तथा भू–गर्भ जल निकालने की फीस आदि की समस्त लेखा–प्राप्तियॉं, इस निधि में जमा की जाएगी। निधि का संचालन निदेशक, भू–गर्भ जल विभाग द्वारा किया जायेगा। निधि का उपयोग, राज्य में भू–गर्भ जल प्रबंधन क्रिया–कलापों यथा भू.गर्भ जल संरक्षण के लिए मांग पक्ष के मध्यक्षेपों को प्रोत्साहित करने हेतु और राज्य सरकार तथा भू–गर्भ जल विभाग द्वारा विनिश्चित किए गए प्रभावी अनुश्रवण युक्तियों/तंत्रों द्वारा भू–गर्भ जल उपयोग की दक्षता में वृद्धि करने हेतु दोनों मांग पक्ष तथा आपूर्ति पक्ष के माध्यम से किया जाएगा।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

49–राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

50–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकती है जो कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

किसी उपयोक्ता/वादों को छूट प्रदान करने की राज्य सरकार की शक्तियां

51–राज्य के समग्र विकास के हित में राज्य सरकार, राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण की संस्तुति पर किसी प्रयोक्ता या प्रयोक्ता वर्ग या वाद को इस अधिनियम के किसी उपबंध से छूट प्रदान कर सकती है।

अन्य विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव

52–तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य की किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।

———

उद्देश्य और कारण

भू–गर्भ जल घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोगों के लिए जल का एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, भोजन और आजीविका का प्रधान आधार है। राज्य सरकार के संज्ञान में यह लाया गया है कि भू–गर्भ जल के अनियन्त्रित और तीव्र निष्कर्षण के फलस्वरूप राज्य के अनेक क्षेत्रों में भू–गर्भ जल के स्तरों में गिरावट और भू–गर्भ जल जलाशयों में ह्रास होने की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

राज्य में गम्भीर भू–गर्भ जल संकट और भू–गर्भ जल संदूषण की स्थिति से निपटने के लिए राज्य में दोनों परिमाणात्मक एवं गुणात्मक भू–गर्भ जल का अविरत प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु भू–गर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन करने के लिए एक विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश भू–गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जाता है।